न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी–राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या– 381/2024

वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88 आर.टी.ए.(घोषणा/इस्तकरारहक)

कर्मवीर पुत्र विजेन्द्र कुमार जाति ज़ाट साकिन दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

(वादी)

बनाम

1–विजेन्द्रकुमार पुत्र दुर्गादत 2–किर्ति पुत्री विजेन्द्र कुमार जाति जाट साकिन दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ 3–तहसीलदार 'राजस्व' संगरिया।

(प्रतिवादीगण)

उपस्थित :–

1–ओम प्रकाश शर्मा वकील वादी

2–जितेन्द्र कुमार बाथम वकील प्रतिवादी सं. 1 व 2

निर्णय

दिनांक 26.07.2024

यह पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई जिसमें अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 एक ही परिवार के व्यक्ति है, वादी ने अपने इस दावा अपनी सक्षिप्त वंशावली अंकित की है कि प्रतिवादी संख्या एक वादी का सगा पिता व प्रतिवादीया संख्या 2 वादी की सगी बहिन है, वादी के पिता यानि प्रतिवादी संख्या एक विजेन्द्रकुमार पुत्र दुर्गादत के नाम से तहसील संगरिया के चक नम्बर 4 ए.एम.पी. खाता संख्या 142/39 में 5.060 है0 नहरी खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में है नकल जमाबन्दी हमराह दावा है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 2 एक ही परिवार के व्यक्ति है, तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम उक्त प्रश्नगत भूमि विरारत्तन जद्दी जायदाद है तथा कुछ भूमि जद्दी जायदाद की आय से खरीद होने से विरारत्तन है। उक्त कुल भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा जन्मजात हक व हिस्सा बनता है। जिसे वादी जरिऐ घोषणा राजस्व अभिलेख में अपने नाम कराने का मुस्तहक एवं दावेदार है। दावा की पहरा सं. 3 में वर्णित सम्पति में प्रतिवादी संख्या 2 किसी प्रकार से हिस्सा नहीं लेना चाहती उसने अपना हिस्सा वादी के पक्ष में छोड़ दिया है, तथा वादी एवं प्रतिवादी का घरू विभाजन हो चुका है मुताबिक घरू विभाजन वादी को चक नम्बर 4 ए.एम.पी. खाता संख्या 142/39 में 5.060 है0 में से 1.771 है0 भूमि प्राप्त हो चुकी है जिसका कब्जा भी वादी के पास है इस प्रकार उक्त कुल 1.771 है0 भूमि का वादी खातेदार काश्तकार हो चुका है इसी अमर की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने का वादी अधिकारी एवं दावेदार है। उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में अभी तक प्रतिवादी [illegible] नाम दर्ज चली आ रही है। उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी [illegible] लिमिट व किसान क्रेडिट कार्ड बनाने में असमर्थ हूँ, इससे वादी के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, इस कारण वादी ने प्रतिवादी [illegible] वादी को मुताबिक जन्मजात हिस्सा एवं कब्जा काश्त अनुसार खातेदार काश्तकार मानकर उक्त भूमि

शेष पृष्ठ 2 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 11:54:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

(24)

उसके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करा देवे तो प्रतिवादी ने ऐसा करने से पिछले सप्ताह कतई तौर पर इन्कार कर दिया बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर दावा पेश होने पर व सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण की तलबी हेतु तारीख निश्चित की गई। मुकर्रा तारीख पैशी पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने जरिये वकील एवं स्वंय उपस्थित आकर इकबालदावा पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किये गये तथा प्रतिवादी सं. 3 राज पेरोकार ने अपना जबाब दावा पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली में इकबाल दावा पेश होने पर दावा में कोई विरोध नहीं रहा इसलिये तनकीयात कायम नही की गई। वादी की और से वादी ने साक्ष्य में अपना शपथ पत्र आ.18 नि.4 सी.पी.सी. के तहत पैश किया जो शामिल पत्रावली किया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दीया प्रदृशित कराई गई।

बहस वकील वादी व प्रतिवादीगण की सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने दावा में वर्णित तथ्यों को दोहराया व वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया गया, बहस वकील प्रतिवादी ने कोई विरोध नहीं करते हुए दावे को स्वीकार किये जाने पर कोई एतराज नहीं होना जाहिर किया। बहस वादी एवं वकील प्रतिवादीगण वकील की सुनने के बाद पत्रावली का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी में भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। वादी के दावे का किसी प्रकार से विरोध नही होने से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

वाद वादी स्वीकार किया जाता है व आदेश दिये जाते है कि वादी अपने पिता विजेन्द्रकुमार पुत्र दुर्गादत के नाम चक नम्बर 4 ए.एम.पी. खाता सं. 142/39 में कुल 5.060 है0 में से 1.771 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है उक्त खाते से प्रतिवादी संख्या 1 विजेन्द्रकुमार का हिस्सा कम किया जाकर राजस्व अभिलेख में वादी का नाम अंकित किया जावे। बैंक का नौ–डूयूज पेश होने पर नामान्तरण की कार्यवाही करे।

अतः पर्चा डिकरी जारी हो तथा पत्रावली फैसला शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर होवे।

निर्णय आज दिनांक 26.7.2024 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 11:54:57 IST
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, सगरिया

(29)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 सी.पी.सी.)

न्यायालय–सहायक कलेक्टर, एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारी– राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या– 381/2024 वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88 आर.टी.ए.।

कर्मवीर पुत्र विजेन्द्र कुमार जाति जाट साकिन दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

(वादी)

बनाम

1–विजेन्द्रकुमार पुत्र दुर्गादत 2–किर्ति पुत्री विजेन्द्र कुमार जाति जाट साकिन दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ 3–तहसीलदार 'राजस्व' संगरिया।

(प्रतिवादीगण)

दावा बाबत घोषणा/इस्तकरार हक

यह मुकद्मा आज वास्ते इन फिसाल कतई हमारे बहाजरी श्री ओम प्रकाश शर्मा एडवोकेट मिन जानिब मुदई जिनेन्द्र कुमार बाथम जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–**वादी अपने पिता** विजेन्द्रकुमार **पुत्र दुर्गादत के नाम चक नम्बर 4 ए.एम.पी. खाता सं. 142/39 में कुल 5.060 है0 में से 1.771 है0 भूमि का खातेदार** काश्तकार **घोषित किया जाता है उक्त खाते से प्रतिवादी संख्या 1** विजेन्द्रकुमार **का हिस्सा कम किया जाकर राजस्व अभिलेख में वादी का नाम अंकित किया जावे। बैंक का नौ–ड्यूज पेश होने पर नामान्तरण की कार्यवाही करे।**

निज ✗ मुब्लिक ✗ बाबत ✗ ।.खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालना आज की तारीख बसूलयाबी तक ✗ को अदा करे।।

बसब्त मैरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 26.7.2024 को जारी किया गया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 18:54:57 IST
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया